


आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3
18.07.2017	<p style="text-align: center;">न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, अरवल</p> <p style="text-align: center;"><u>भू-हदबंदी अपील वाद सं0-10 / डी0एम0 / 2005-06</u> <u>चन्द्रमा सिंह बनाम लालवाबू साह एवं अन्य।</u></p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>वर्तमान वाद चन्द्रमा सिंह, श्री विजय कुमार सिंह दोनो पिता-राम स्वरूप सिंह, साकिन-प्रसादी इंगलिस, थाना+जिला-अरवल ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल के न्यायालय वाद सं0-02/2004 चन्द्रमा सिंह वनाम् लाल बाबू साह वगैरह में दिनांक-14.07.2005 के पारित आदेश के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में भू-हदबंदी अपील वाद {धारा 16 (III)} के तहत दिनांक-06.08.2005 को लाया गया है। जिसे प्रविष्ट करते हुए विपक्षीगण को नोटिस निर्गत करने एवं निम्न न्यायालय अभिलेख प्राप्त करने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी द्वारा आपति आवेदन दाखिल करने के उपरांत अभिलेख सुनवाई पर निर्धारित कर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख आदेश पर रखा गया।</p> <p>प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत वाद खाता सं0 263 प्लॉट नं0 1152 एराजी 07 डी0 है। जिसका चौहदी उत्तर-राम एकवाल सिंह, द0-चन्द्रमा सिंह, पु0-रामएकवाल सिंह, प0-खरीदार के जंगवहादूर मिस्त्री है। आवेदक (अपीलार्थी) ने बिहार लैण्ड सिलिंग एक्ट के धारा 16(III) के सभी आवश्यक तत्वों को पुरा करते हुए कुल जरसमन मो0 30,000/- के साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि मो0 3000/-रु0 इस प्रकार कुल 33,000/-रु0 कोषागार चलान के माध्यम से जमा किया गया है। अपीलार्थी के पिता-रामस्वरूप सिंह तथा विपक्षी सं0 02 लालबाबू सिंह व विश्वनाथ सिंह सहोदर भाई थे। प्रश्नगत खेसरा रकवा 20.1/2 डी0 का आपसी वटवॉरा में अपीलार्थी चन्द्रमा सिंह को 10.1/4 डी0 पश्चिम तरफ तथा विपक्षी लालबाबू सिंह को 10.1/4 डी0 जमीन पुरव तरफ मिला है। उनका यह भी कहना है कि निष्पादित केवाला दस्तावेज में जानबूझकर चौहदी गलत अंकित किया गया है। अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि का सह रैयत है। प्रतिवादी सं0-01 लाल बाबू साह प्रश्नगत भूमि का अरिया रैयत है, गलत है क्योंकि प्लॉट सं0 1152 के सटे पश्चिम में है। विपक्षी सं0 01 लालबाबू साह इसके पूर्व तिलसुन्दरी देवी, पति-प्रेम नाथ मिस्त्री से प्लॉट नं0 306 खरीद किये थे। जो प्लॉट नं0 1152 के पश्चिम में है। इससे भी स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं0 01 लालबाबू साह प्रश्नगत भूमि का अरिया रैयत नहीं है।</p> <p>आगे इनका कहना है कि बिहार लैण्ड सिलिंग एक्ट में पहली प्राथमिकता सह रैयत को दिया गया है। सह रैयत के वाद अरिया रैयत को प्राथमिकता है। प्रश्नगत वाद में प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी उक्त भूमि के सह रैयत है। ऐसी स्थिति में भूमि पर पहली प्राथमिकता सह रैयत का ही वनता है। आगे इनका कहना है कि अपीलार्थी (सह रैयत) बिक्री विलेख उसी नियमों और शर्तों पर प्रश्नगत भूमि को क्रय करने को तैयार है। इसलिये भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल के पारित आदेश दिनांक 14/07/2005 को विखंडित करते हुए क्रेता को प्रश्नगत भूमि का हस्तानान्तरण अपीलार्थी के पक्ष में करने का आदेश देने का अनुरोध न्यायालय से किया गया।</p> <p>द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को कहना है कि अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील पत्र तथ्य एवं न्याय के आलोक में खारिज करने योग्य है क्योंकि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता</p>	


अरवल के पारित आदेश दिनांक 14/07/2005 में कोई त्रुटि नहीं है। आगे इनका कहना है कि खाता नं० 263 प्लॉट नं० 1152 रकवा 07 डी० भूमि का खरीद अरिया रैयत होने के हैसियत से विधिपूर्वक किये हैं। अपीलार्थी द्वारा एल०सी० फॉर्म 13 में प्रश्नगत भूमि का चौहदी परिवर्तन कर दाखिल किया गया है, जो विधि एवं न्याय संगत नहीं है। नियम 19 के केवाला दस्तावेज के अनुसार ही चौहदी दर्ज करना है। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी खानगी बटवारा के विरुद्ध माननीय सब जज न्यायालय जहानाबाद में बटवारा वाद दाखिल किया है जो विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सह रैयत का दावा मान्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा कुल जरसमन का 10 प्रतिशत राशि समाहर्ता के नाम से जमा करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। आगे इनका कहना है कि प्रश्नगत जमीन का दाखिल खारिज भी हो चुका है। खेसरा नं० 306 विपक्षी की खरीदगी भूमि है। जिसे सटे पश्चिम तरफ खेसरा सं० 1152 अवस्थित है जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी अरिया रैयत है, जिस पर धारा 16 (III) लागू नहीं होता है। इसलिय विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल के पारित आदेश दिनांक 14.07.2005 विधि एवं न्याय संगत है, इसलिए अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध न्यायालय से किया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उपलब्ध निम्न न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया। चूंकि अपीलार्थी द्वारा भू-हदबंदी वाद दाखिल किये जाने के समय खानगी बटवारा को ही मुख्य आधार बनाया गया था एवं उनके द्वारा स्वयं ही धारित खानगी बटवारा के विरुद्ध सब जज न्यायालय जहानाबाद में स्वामित्व वाद दायर किया गया था। इस प्रकार इनका अरिया रैयत माना जाना न्यायोचित नहीं है। वंही विपक्षी का यह दावा कि उनकी खरीदगी जमीन के उ० वर्णित भूखण्ड में प्लॉट सं०-1152 के पश्चिम है, जिसे निम्न न्यायालय ने सर्वे खतियान के अनुसार सही पाया है।

क्योंकि विपक्षी द्वारा स्वयं ही अरिया रैयत की हैसियत आवेदन दिए जाने के पूर्व ही हासिल कर ली गयी थी। अतः आवेदक का हकसफा अधिकार उन पर लागू नहीं हो सकता। निम्न न्यायालय द्वारा सभी वांछित विधिनुसार प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए आदेश पारित किया गया है एवं ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जो आवेदक द्वारा उद्धृत किया गया है, जिस पर विचार न किया गया हो इस प्रकार वर्णित परिस्थित में निम्न न्यायालय के पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित


समाहर्ता,
अरवल।


समाहर्ता,
अरवल।